फाईल नंबर

अधिवक्ता

[न्या]यालय उपखण्ड ....अधिकारी.............. कठूमर जिला अलवर

2/131/2020

तारीख रजू..............................

मदन **बनाम** पदम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2020	वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थीया ने मूल वाद के साथ पेश किया। यह प्रार्थना पत्र जब पेश हुआ इसमे केबियटकर्ता पक्ष ने पूर्व मे केवियट पेश की केबियट प्रस्तूतकर्ता की तरफ से एड0 श्री देवेन्द्र सिंह नरूका उपस्थित। प्रार्थी की ओर से सतेन्द्र कुमार शर्मा एड0 के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनाये जाने का आग्रह किया गया। न्यायालय द्वारा दोनो उभय पक्षो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया केबियटकर्ता श्री देवेन्द्र सिंह नरूका ने प्रार्थी के हिस्से तक टीआई जारी करने मे कोई आपत्ति नही जताई दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया गया। प्रर्थना पत्र मे प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 87, वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात पर प्रार्थीगण के हिस्से तक कब्जे काश्त मे रूकावट/तजाहमत/निर्माण न करे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 26.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
26/10/20	[illegible] [illegible] अधि०/P.O. बाहर [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.2.21	वकील प्रार्थी अनुपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 13/8/20 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/5/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
24/5/21	अनुवाद कोविड ... P.C बाबत ... पत्रावली दिनांक 13/12/21 को पेश हो।
13/12/21	पत्रावली पेश हुई। केम्प कोर्ट में पेश हुई। ... कठूमर ... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 28/2/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
22/4/2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश ... की पालना में ... तलबी दिनांक 12/5/22 ... पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
12/5/22	पत्रावली मुलाहिजा के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र अदम पैरवी ... अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। ... के साथ संलग्न रही। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)